

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

(स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं लोहिया स्वच्छता योजना)

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, ग्रामीण विकास विभाग



बिहार सरकार

विद्युत भवन-2, प्रथम तल, बेली रोड, पटना-800 021, दूरभाष : +91-612-250 4980, फ़ैक्स : +91-612-250 4960 वेबसाइट : www.lsba.bih.nic.in

पत्रांक: BRLPS/LSBA-PROJ/04/16 — 05

दिनांक: 27.6.18

प्रेषक,

राजीव कुमार सिंह, बि०प्र०से०

प्रशासी पदाधिकारी-सह- राज्य समन्वयक

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष

जिला जल एवं स्वच्छता समिति,

किशनगंज।

विषय: परिक्रमी निधि (Revolving Fund) या ग्रामीण स्वच्छता मार्ट (Rural Sanitation Mart) हेतु दिए गए अग्रिम राशि की वापसी के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि विभागीय निदेश 68/सी० दिनांक 05.08.16 एवं 105/सी० दिनांक 08.11.16 के आलोक में विभिन्न जिलों (DWSC) द्वारा परिक्रमी निधि मद से IHHL निर्माण हेतु या R.S.M. की अधिष्ठापन हेतु जीविका के ग्राम संगठनों को अग्रिम राशि उपलब्ध करायी जा रही है। विभिन्न ग्राम संगठनों द्वारा विहित कार्य के संपादन के उपरांत किशतों के अग्रिम राशि वापस की जानी है।

वर्तमान में सम्पूर्ण राज्य में Host to Host System के माध्यम से SBM(G) एवं LSY को राशि भुगतान/स्थानांतरण की जा रही है।

अतः Host to Host Payment System अन्तर्गत यह निदेश दिया जाता है कि परिक्रमी निधि या R.S.M. अंतर्गत वापस की जाने वाली राशि को चेक/डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निम्न खाते में राशि स्थानांतरण की जाए एवं स्थानांतरित राशि की विवरणी लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के वेबसाइट lsba.bih.nic.in के अंतर्गत DDC Login द्वारा Expenditure & Salary Menu के अंतर्गत Return of RF Advance Sub Menu में अंकित की जाएगी।

BRLPS-SWACHH BHARAT MISSION (G)

A/C No- 625901143298

IFSC code -ICIC0006259

ICICI Bank, Exhibition Road, Patna

विकसित बिहार का निश्चय : शौचालय निर्माण, घर का सम्मान



वापस की गई राशि का सत्यापन राज्य स्तर पर किये जाने के उपरांत पुनः संबंधित जिले को परिक्रमी निधि अंतर्गत वापस की गयी अग्रिम राशि के समतुल्य राशि उपलब्ध हो जायेगी ।
(अधिकतम 50 पचास लाख) तक जिसे जिले द्वारा पुनः उपयोग किया जा सकता है ।

विश्वासभाजन


27/6/18
(राजीव कुमार सिंह)

प्रतिलिपि :- सभी उप विकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति (किशनगंज को छोड़कर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि :- सभी निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण-सह-सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता समिति ~~(किशनगंज को छोड़कर)~~ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।




27/6/18
(राजीव कुमार सिंह)